न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2025 / 154

सिविल प्रकरण संख्याः– 32 / 2024 तारीख रजू 25.06.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. रामफूल यादव पुत्र श्री मांगीलाल यादव (मौके पर विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स यादव डेयरी पटवार घर के पीछे बौंली, सवाई माधोपुर निवासी डिडवाडी तह. बौंली सवाई माधोपुर।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/ 51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 06.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2025 को 12.00 पी.एम. पर मैसर्सः– यादव डेयरी, पटवार घर के पीछे बौंली, सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर खाद्य अनुज्ञापत्र आवेदन की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु **Dahi** फ्रीज में रखा हुआ था। **Dahi** में मिलावट का अन्देशा होने पर नमूना वास्ते **Dahi 800** ग्राम खरीदकर उसकी कीमत 80 /– रूपये विक्रेता रामफूल यादव को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्रीमती तुलसा देवी के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान नरेश गोयल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **800** ग्राम **Dahi** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी [illegible] की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Dahi**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर कर 16–16 बूंदे फार्मेलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3668** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकत्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप कमांक **H-3668** नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें । चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2025/527 दिनांक 22/04/2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1133/एक्ट/2025/1091 दिनांक 01/04/2025 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Dahi, Substandard** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/692 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त द्वारा **Substandard, Dahi** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश सिंह राजावत उपस्थित आए तथा प्रकरण में जवाब पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा **Substandard, Dahi** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अभियुक्त की दुकान से आवेदक ने दिनांक 11.03.2025 को नमूना लिया गया था जिसे प्रयोगशाला में 12.03.25 को भिजवाया गया जबकि उसकी जांच लेबोरेट्री में दिनांक 01.04.2025 को हुई है। ऐसी स्थिति में दही फर्द जप्ती के 20 दिन बाद में उसकी जांच हुई है जबकि दूध में हल्का सा दही डालने के बाद में फरमनट्रेशन चालू हो जाता है, 12 घन्टे से अधिक समय पर ज्यादा फरमनट्रेशन होकर, दूध में मौजूदा फेट में कमी आने लग जाती है जो एक नेचूरल प्रकिया है इस बिन्दू पर परिवादी पक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वकील अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया कि कानून में बनाये गये नियमों के अनुसार दही में सामान्य मिल्क फेट 40 से 44 होनी चाहिए अप्रार्थी के दही में मिल्क फेड लेबोटरी से जांच करने पर 42.0 पाई गई है जो कानून में बनाये गये नियमों के अनुसार सही है। वकील अभियुक्त ने बहस में यह भी तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कभी भी प्रार्थी को दही के सबस्टेण्डर्ड आने का नोटिस नहीं दिया ना ही यह सूचना दी कि दही सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है यदि इस प्रकार की सूचना प्रार्थी को दी गई होती हो प्रार्थी सेम्पल की पुनः सही या गलत होने की जांच लेबोरेटरी से करवाता। अन्त में वकील अभियुक्त ने न्याय निर्णयन आवेदन कानूनी दृष्टि से सही नहीं होने के कारण निरस्त फरमा कर अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1133/एक्ट/2025/1091 दिनांक 01/04/2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Dahi** जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा दिये गये तर्क कि दही में सामान्य मिल्क फेट लेब जांच में 42.0 पाया गया है सही नहीं है, जांच रिपोर्ट में Milk Fat results 3.04% आया है जोकि Minimum 4.5% होना चाहिए था। अभियुक्त द्वारा जिस मिल्क फेट की बात की गई है वह असल में मिल्क फेट नहीं होकर B.R.Reading at 40.0^{0}C of extracted fat है। दही में फर्मनटेशन प्रकिया की रोकथाम हेतु आवेदक ने उक्त दही को सील पैक करते समय उसमें फार्मेलीन की 16–16 बूंदे मिलायी गयी थी। खाद्य विष्लेषक द्वारा उक्त सील पैक दही के नमूने को रिपोर्ट में एनालिसिस के लिए फिट माना है। अभियुक्त का यह कथन भी सही नहीं है कि उन्हें दही के सबस्टेण्डर्ड आने का नोटिस नहीं दिया गया हो, क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर ने उनके रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22.04.25 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

द्वारा अभियुक्त को नमूना जांच रिपोर्ट भिजवाते हुए जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु फार्म नं. 8 भी संलग्न भिजवाया गया था।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Dahi** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested